निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट एवं जनपद के तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणो में आम जनता को विधि की सामान्य जानकारी, विधिक अधिकारों एवं दायित्वों के अनुपालन में सहायता एवं मामलों के शांतिपूर्ण निस्तारण में सहायता हेतु परा विधिक स्वयं सेवकों को सम्बद्ध किया जाना है। इस योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे स्वयंसेवकों की तलाश है जो समाज में जरूरतमंदों एवं कमजोर व दलित तबको के उत्थान के लिए लगन, निष्ठा, करूणा, तदनुभूति एवं गम्भीरतापूर्वक कार्य करने के इच्छुक हो।

पात्रताः- इस योजना में शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक, एम०एस०डब्ल्यू० छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, डाक्टर, छात्र, गैर राजनीतिक एवं सेवाभाव रखने वाले गैर सरकारी संस्थानों और क्लबों के सदस्य, महिला मैत्रीसंघों, एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्य आदि सदस्यता हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से इस प्रकार सक्षम होना चाहिये कि वह विभिन्न स्थानो पर घूम-फिर कर, बात-चीत कर अपना कार्य कर सके। इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल उत्पीर्ण होना चाहिए। इस योजना के तहत चयनित किये गये अभ्यर्थी जब सफलतापूर्वक चयन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संतुष्टि पर परीक्षा/इण्टरव्यू पास कर लेने के उपरान्त ही उन्हें परा विधिक स्वयं सेवक के रूप पैनलित करते हुए पहचान पत्र जारी किया जायेगा।

पराविधिक स्वयं सेवकों को कोई वेतन, परिश्रमिक अथवा पगार देय नहीं है. बल्कि उन्हें सिर्फ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय ही नियमानुसार देय होगा, जब उनसे कोई विशेष कार्य लिया जायेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर सभी संलग्नकों सहित अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 28.01.2025 तक जमा कर सकते है। पैरा लीगल वालेंटियर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बेबसाइट पर देखी जा सकती है। अन्य किसी जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा https://chitrakoot.dcourts.gov.in की बेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

(नीलू मैनवाल)
सचिव
पराविधिक स्वयं सेवको की चयन समिति,
चित्रकूट।

प्रतिलिपि-

1. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर प्रा०पत्र के प्रारुप सहित अपलोड करने हेतु।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
3. सहायक सूचना निदेशक, लखनऊ को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन, को आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी को प्रचार प्रसार कराने हेतु।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं विद्यालयों में प्रचार-प्रसार हेतु।
6. बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं विद्यालयों में प्रचार-प्रसार हेतु।
7. सी०डी०पी०ओ०, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, चित्रकूट।
9. नोटिस बोर्ड बाह्य न्यायालय मऊ, चित्रकूट।
10. नोटिस बोर्ड अधिवक्ता संघ, चित्रकूट।

(नीलू मैनवाल)
सचिव
पराविधिक स्वयं सेवको की चयन समिति,
चित्रकूट।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट।
परा विधिक स्वयं सेवा हेतु आवेदन पत्र

[redacted]

स्वप्रमाणित फोटो

1-नाम-

2-पिता/पति का नाम-

3-वर्ग-अनारक्षित / ओबीसी / एससी/एसटी
(यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं तो कृपया स्वप्रमाणित
प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

4-धर्म-

5-व्यवसाय-

6-जन्मतिथि

7-कुल वार्षिक आय तथा स्रोत-

8-स्थायी पता- ग्राम- पोस्ट-

विकास खण्ड- तहसील- थाना

जिला-

9-पत्राचार का पता-

10-टेलीफोन/मोबाइल नं०-

11-ई-मेल आई०डी०-

12-शैक्षणिक योग्यता-

	बोर्ड/वि०वि०	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
अन्य						

13-अन्य तकनीकी विशेष योग्यता था मोटरसाइनिंग / इलेक्ट्रानिक/रंग/गायन आदि

14-पूर्व में यदि कोई सामाजिक जागरुकता के संबंध में कार्य किया हो तो उसका ब्योरा

15-यदि कार्यरत/अवकाश प्राप्त कर्मचारी हो तो संबंधित विभाग/संस्था का नाग- तथा धारित पद

अनुभव का ब्यौरा

16-कहां काम करना चाहते है-सम्पूर्ण जनपद में या किसी क्षेत्र विशेष में

17-यदि किसी प्रकार की शारीरिक / मानसिक विकलांगता हो तो उसका विवरण-

18-यदि कोई आपराधिक मामला आपके विरुद्ध यदि चला / लम्बित हो. तो उसका विवरण-

19-यदि पूर्व में पी०एल०वी० रहें हों तो कहां रहे तथा कृत कार्य का संक्षिप्त विवरण-

20-आप पराविधिक स्वयंसेवक क्यों बनना चाहते हैं? कृपया सौ शब्दों में लिखकर संलग्न करें|

नोट पराविधिक स्वयंसेवक को कोई वेतन/पारिश्रमिक/पगार देय नहीं है उसे सिर्फ नियमानुसार निर्धारित मानदेय देय है|

* प्रार्थी को किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिये|
* प्रार्थी को अधिवक्ता नहीं होना चाहिए|
* कृपया सभी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें|

संलग्नक- आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त कम सं0-1 लगायत 20 में दर्शायी गयी सभी सूचनायें सही व सच हैं. मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि मेरी कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मुझे चयन सूची से हटा दिया जाये तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है| इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी|

दिनांक-

स्थान- **सत्यापनकर्ता**